फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना मऊदरवाजा

दिनांक - 03.03.2026

थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त को 24 घण्टे के अन्दर आलाकत्ल सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 03.03.2026 को थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त को 24 घण्टे के अंदर आलाकत्ल सहित गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः

01. राजेश उर्फ पप्पू पुत्र शीशराम कनौजिया उर्फ छोटे निवासी ग्राम गंगोली थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ।

घटना का संक्षिप्त विवरणः दिनांक 03.03.2026 को वादी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि अभियुक्तो नें वादी के भाई एंव भतीजे के साथ गाली-गलौज की तथा विरोध करने पर वादी के भाई व भतीजे से मारपीट करने लगे तथा वादी के भतीजे की हत्या कर दी। प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना स्थानीय पर

मु0अ0सं0 88/2026 धारा 103(1)/115(2)/352/351(3) बीएनएस बनाम राजेश उर्फ पप्पू पुत्र स्व0 शीशराम कनौजिया निवासी ग्राम गंगोली थाना मऊदरवाजा जनपद फर्रुखाबाद आदि 03 नफर पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में अभियुक्त राजेश उर्फ पप्पू उपरोक्त को आलाकत्ल सहित गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण - अभियुक्त राजेश उर्फ पप्पू उपरोक्त ने पूछताछ करने पर अपनी गलती की माँफी मांगते हुये अपने बयान अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष देना बताया।

अभियुक्त राजेश उर्फ पप्पू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 88/2026 धारा 103(1)/115(2)/352/351(3) बीएनएस थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ।

बरामदगी का विवरण:-

1. एक बांका/चाकू (आलाकत्ल)

गिरफ्तारी/बरामदी करने वाली थाना मऊदरवाजा पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री अजब सिंह
2. उ0नि0 श्री पंकज कुमार
3. हे0का0 सरताज अहमद
4. का0 विपिन बालिया
5. का0 अभिषेक कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़।